Joint Committee Inspection Report

In the Hon'ble NGT Suo Moto Matter of

Original Application No. 182/2025 (CZ)
News item titled "Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt" Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025

Vs

State of Chhattisgarh & Ors.

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Joint Committee report in compliance with the order dated 17.01.2026 of Hon'ble NGT (CZ) in the O.A. No.182 of 2025.	1-4
2.	**Annexure 1:** Copy of the Hon'ble NGT Order dated 17.01.2026	5-7
3.	**Annexure 2:** The Copy of the Office order of Head Office, CG Environment Conservation Board, Nava Raipur dated 20.01.2026.	8
4.	**Annexure 3:** The Copy of the Office order of District Collector Raipur dated 23.02.2026.	9
5.	**Annexure 4:** The Copy of the letter issued for information to Mining Department, Raipur.	10
6.	**Annexure 5:** The Copy of the letter issued for information to Town Inspector, Police Station Abhanpur, Dist. Raipur.	11
7.	**Annexure 6:** The Copy of the photographs taken during the site visit and panchnama of the Joint Committee.	12-13
8.	**Annexure 7:** The copy of the letter received from Mining Department, Raipur.	14-16
9.	**Annexure 8:** The copy of the letter received from Town Inspector, Police Station Abhanpur, Dist. Raipur.	17-25

<u>Report of the Joint Committee O.A. No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 Vs State of Chhattisgarh & Ors.</u>

- **Background:**

Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal vide order dated 17.01.2026 in O.A. No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 *Vs State of Chhattisgarh & Ors"* have ordered the following person impleaded as party respondents.

i. State of Chhattisgarh through District Magistrate, Raipur, Lalpur, Near Kutchery Chowk, Raipur, Chhattisgarh, (C.G)

ii. Member Secretary Chhattisgarh Environment Conservation Board, Paryawas Bhawan, North Block Sec. 19 Atal Nagar , Distrct- Raipur (CG).

iii. The Deputy Director, Minerals, Mineral Resources Department, Indravati, Bhavan, Block-4, Second Floor, Nawa Raipur Atal Nagar, Distrct-Raipur (CG) To above respondents have to submit their reply to Hon'ble NGT.

iv. District Mining Officer, Sonakhan Bhavan, NH 6, Gram, Purena, Ring Road, Krishak nagar, Raipur (C.G).

In said order the Hon'ble NGT also constituted a joint committee consisting the following members to visit the site and submit the factual action taken report.

1. One representative from the District Magistrate, Raipur Chhattisgarh.
2. One representative from the Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Paryawas Bhawan, North Block Sec. 19 Atal Nagar, Distrct-Raipur (CG).

Hon'ble tribunal directed the joint Committee to submit factual and action taken report within six weeks. Further, as per Hon'ble NGT order the CECB will be nodal agency for coordination and logistic support. Copy of the order dated 17.01.2026 of Hon'ble NGT is enclosed as **Annexure-01**.

- **Constitution of the Joint Committee:**

In pursuance of the order dated 17.01.2026 of Hon'ble NGT, Bhopal and the nominations received from the organizations concerned members, a Joint Committee has been constituted comprising of the following members:

1. Uttam Prasad Rajak, Deputy Collector, Raipur.
2. Prakash Kumar Rabde, Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur.

- **Brief about the case:**

    - In Original Application (hereinafter referred as O.A.) raises the issue regarding the illegal transportation of mining and violation of environmental norms. It is reported that illegal mining and transportation of murum, sand, and gravel continue unabated in several districts. In recent days, the Mining Department has seized multiple vehicles involved in illegal transportation, but no further action has been taken against the offenders. The matter appears to be stuck in paperwork, and according to sources, some cases have even been removed from official files. Meanwhile, the auction of new sand mines is underway. Although the mines have not yet been demarcated, excavation has already begun, violating procedural norms. The designated mining areas are supposed to be clearly marked before any excavation starts, but this requirement is being ignored. In Singarbhatha village, police took action against individuals involved in illegal murum excavation. However, no FIR was registered after the incident. Locals allege that the site has been converted into a pond by the mining mafia after continuous murum extraction. Despite complaints from villagers and public representatives demanding an FIR, the police have neither summoned the vehicle owners for questioning nor registered a case. This news item discloses a serious violation of Environmental (Protection) Act, 1986 and the mining rules. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. Accordingly, in light of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Municipal Corporation of Greater Mumbai Vs. Ankita Sinha & Ors. reportedly 2021 SCC online SC 897.

- **Action taken by the Joint Committee**

  The joint committee has decided to take action taken report from the Mining Department Raipur and Town Inspector, Police Station Abhanpur, Dist. Raipur. In continuation to that Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur has issued letter dated 05.03.2026 to Mining Department Raipur and letter dated 23.03.2026 to Town Inspector, Police Station Abhanpur, Dist. Raipur for action taken report. The letters are enclosed as **Annexure-04 and 05.** The constituted joint committee visited the site on 20.03.2026 near Nag Mandir village singarbhata and found that muram mining has been taken place earlier at the site. At the time of inspection no mining activity was happening. The patwari of that area present during the inspection stated that no mining activities has taken place during last several days. The photographs taken during the visit and the copy of panchnama is enclosed as **Annexure-06**.

- **Action taken by the Mining Department, Raipur** –

- The reply letter received from Mining Department, Raipur is enclosed as **Annexure-07**.
- According to the information received from Mining Department, Raipur, action has been taken against illegal muram excavation and transportation. The detailed actions are as follow :-

  In financial year 2025-26, total **28** cases of illegal muram excavation and **106** cases of illegal transportation of muram were registered in Raipur District and in which a total settlement amount of **₹53,99,770** was recovered from these cases. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and the C.G. Minor Mineral Rules, 2015, do not provide for filing FIRs against illegal excavators and transporters. Therefore, cases are resolved as per the rules. In 2025-26, 12 cases under section 22 were filed in the District and Sessions Court Raipur. Currently, six sand mines have been identified and demarcated in Raipur district and are operating under environmental approval. Investigations into illegal excavation and transportation of muram in the Naya Raipur and Singarbhatha areas have resulted in a settlement of fines of **₹15,69,380** in 18 cases of illegal excavation and **₹7,98,260** in 30 cases of illegal transportation.

- **Action taken by the Town Inspector, Police Station Abhanpur, Raipur –**
- The reply letter received from Town Inspector, Police Station Abhanpur, Dist. Raipur is enclosed as **Annexure-08**.
- According to the information received from Town Inspector, Police Station Abhanpur, Dist. Raipur, on written complaint of Mr. Dushyant Chauhan father B.L. Chauhan age 36 years resident of House No. 17/08 Sector 03 Udaya Society Thana Amanaka District Raipur, the Abhanpur Thana Police, on the night of dated

04/10/2025 & 05/10/2025 arrested 01 no. Chain Mounting Machine and 05 no. Haiwa vehicle and seized them at Ward no. 13 Bade Urla Belbhatha. The two accused were identified as Sukalo Dhruv father Dilip Dhruv age 25 years resident of Puraina Thana Uttar Figeshwar District Gariyaband, 2, Tuleshwar Gilhare father Ram Singh Gilhare, age 23, resident of Belbhatha Police Station, Abhanpur, were arrested on 15.10.2025 at 12.50 pm and They have been sent for judicial remand, who are on bail as ordered by the Hon'ble Court. The vehicles are given to the owner on the Japt Vahana Supurdanama. After obtaining sufficient evidence against the accused and completing the hearing, prepared the charge sheet No. 425/2025 and file it before Hon'ble District and Session Court Raipur on 29.01.2026. The case is pending before the Hon'ble Court.

- **Recommendation/ Suggestion of the joint committee:**

- There should be strict vigilance on illegal muram mining, transportation and storage activities by the Mining department and concerned local administration. There should be night monitoring on illegal muram mining activities.

Uttam Prasad Rajak,
Deputy Collector, Raipur

Prakash Kumar Rabde,
Regional Officer,
C.G. Environment Conservation Board,
Raipur

Item No.06

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No.182/2025(CZ)

News Item Titled Avaidh Muram Parivahan 100 Se Jyada Prakarno Me Shirf Vahan Kiye Jabt Appearing In Db Star Dainik Bhaskar Raipur Dated 9th November 2025

Suo Motu

Vs.

State of Chhattisgarh & Ors. Respondent(s)

Date of Hearing: 17.01.2026

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

For Applicant (s): None.

For Respondent(s): None.

ORDER

1. Newspaper reporting Dainik Bhaskar, Raipur dated 09.11.2025 highlighted the illegal transportation of mining and violation of environmental norms.
2. It is reported that illegal mining and transportation of murum, sand, and gravel continue unabated in several districts. In recent days, the Mining Department has seized multiple vehicles involved in illegal transportation, but no further action has been taken against the offenders. The matter appears to be stuck in paperwork, and according to sources, some cases have even been removed from official files.
3. Meanwhile, the auction of new sand mines is underway. Although the mines have not yet been demarcated, excavation has already begun, violating

4. In Singarbhatha village, police took action against individuals involved in illegal murum excavation. However, no FIR was registered after the incident. Locals allege that the site has been converted into a pond by the mining mafia after continuous murum extraction. Despite complaints from villagers and public representatives demanding an FIR, the police have neither summoned the vehicle owners for questioning nor registered a case.
5. This news item discloses a serious violation of Environmental (Protection) Act, 1986 and the mining rules. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. Accordingly, in light of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Municipal Corporation of Greater Mumbai Vs. Ankita Sinha & Ors. reportedly 2021 SCC online SC 897. The matter is taken *suo moto* cognizance to register it.
6. In view of the above, following persons should be impleaded as party respondent:

   1) State of Chhattisgarh through District Magistrate, Raipur, Lalpur, near Kutchery Chowk, Raipur, Chhattisgarh, 49200.
   2) Member secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Paryavas Bhavan,. North Block Sector-19,. Atal Nagar, Dist- Raipur (C.G.)492002
   3) The Deputy Director, Minerals, Mineral Resources Department, Indravati Bhavan, Block-4, Second Floor, Nawa Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh.
   4) District Mining Officer, Sonakhan Bhavan, NH 6, Gram, Purena, Ring Road, Krishaknagar, Raipur-Chhattisgarh – 492006.

7. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents

preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

8. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
9. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

   i. One representative from the District Magistrate, Raipur, Chhattisgarh.
   ii. One representative from the Member Secretary, CECB, Chhattisgarh.

10. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
11. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).
12. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **20th April, 2026.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
Email add- hocecb@gmail.com

R.O.C.E.C.B L.R. NO. 4967 DATE 21.1.26 Ring Road No. 2 Tatibandh, Raipur

क्रमांक 11651 /विधि/छ.ग.प.सं.मं./2026 अटल नगर दिनांक 20/1/2026

--:: कार्यालय आदेश ::--

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ***OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt Appearing In DB star Dainik Bhaskar Raipurb dated 09.11.2025*** में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के संबंध में है। प्रकरण में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नोडल एजेंसी है। उपरोक्त आदेश के पैरा '10' "*The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*"

उपरोक्त बिन्दु के पालनार्थ कार्यवाही एवं निर्धारित समयावधि के भीतर निरीक्षण कर तथ्यात्मक एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया है:-

1. जिला मजिस्ट्रेट, जिला-रायपुर के एक प्रतिनिधि
2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के एक प्रतिनिधि

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर को प्रतिनिधि/नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

20/01/26

AE/JE/YKB

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक /विधि/छ.ग.प.सं.मं./2026 अटल नगर दिनांक / /2026

प्रतिलिपि :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, जिला-रायपुर कृपया संयुक्त समिति में आपकी ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय कर निर्धारित समयावधि के भीतर रिपोर्ट अधिवक्ता, श्री यादवेन्द्र माईकल यादव के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

Annexure - 03

GENCOR/4997/2026-ADD COLL RPR-1 GEN SEC

1/112861/2026

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

Phone no. 0771-2426024 Fax no. 0771-2220622 Website-raipur.gov.in Email ID-raipur.cg@nic.in

//आदेश//

क्रमांक/138/अ.जि.द./स्टेनो/2026 रायपुर, दिनांक 23/02/2026

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 6257/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं/2026 रायपुर, दिनांक 09.02.2026 अनुसार माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me sirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी को प्रकरण के संबंध में आवश्यक जाँच करने, प्रतिवेदन तैयार कर एक्शन टेकन रिपोर्ट, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष समयावधि में प्रस्तुत किया जाना है।

AE/9KB
9-

अतः उपरोक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर के प्रतिनिधि के रूप में आवश्यक समन्वय हेतु श्री उत्तम प्रसाद रजक, डिप्टी कलेक्टर, रायपुर (मो.नं. 94241 84244) को नामांकित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

R.O.C.E.C.B
L.R. NO. 5548
DATE 23/02/26
Ring Road No. 2 Tatibandh, Raipur

Digitally signed by
GAURAV KUMAR SINGH
Date: 23-02-2026
15:13:24
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/138/अ.जि.द./स्टेनो/2026/1 रायपुर, दिनांक 23/02/2026

प्रतिलिपिः-

1. उत्तम प्रसाद रजक, डिप्टी कलेक्टर, रायपुर जिला रायपुर को पालनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
Umashankar Bandey
Date: 23-02-2026
16:26:58
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

E:\E-Gyapan 2022.docx948

AnyScanner

Annexure - 04

(19)

क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल

न्यू ऑफिस बिल्डिंग, रिंग रोड नंबर – 2, टाटीबंध, जिला – रायपुर (छ.ग.) 492099

E-Mail - rocecbraipur2014@gmail.com

क्रमांक 6668 क्षेका /छ.प.सं.मं/2026 रायपुर दिनांक 05/3/2026

प्रति,

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय : माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram Parivahan 100 se jayda Prakarno Me Shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Danik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के संबंध में।

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का कार्यालय आदेश पत्र क्रमांक 11651 दिनांक 20.01.2026.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram Parivahan 100 se jayda Prakarno Me Shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Danik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। जारी आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण के संबंध में आपके कार्यलय द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करानें का कष्ट करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल को जानकारी प्रेषित की किया जा सकें।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 6669 /क्षेका/छ.प.सं.मं./2026 रायपुर दिनांक 05/3 /2026

प्रतिलिपी :– सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

Annexure - 05

(11)

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
न्यू ऑफिस बिल्डिंग, रिंग रोड़ नं. – 2, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.) 492099
E-mail – rocecbraipur2014@gmail.com

क्रमांक 6967 क्षेका / तक. / छ.प.सं.मं / 2026 रायपुर दिनांक 23/03/2026

प्रति,

थाना प्रभारी,
थाना अभनपुर,
जिला– रायपुर (छ.ग.)

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के संबंध में।

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का कार्यालय आदेश पत्र क्रमांक 11651 दिनांक 20.01.2026 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। जारी आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त थाना क्षेत्रांतर्गत अन्य क्षेत्रों में अवैध मुरम परिवहन से संबंधित की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करें। ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल को जानकारी प्रेषित की किया जा सके।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण
मंडल रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 6968 / क्षेका / छ.प.सं.मं. / 2026 रायपुर दिनांक 23/03/2026

प्रतिलिपि :–
1. सदस्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण, जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

O/c

Annexure - 06

(12)

पंचनामा

18

दिनांक - 20.03.2026
स्थान - नाग मंदिर के समीप, सिंगारभाठा,

आज दिनांक 20.03.2026 को माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण के OA No. 182/2025 (CZ) के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त जाँच दल द्वारा ~~मीडिया~~ समाचार पत्र में प्रकाशित 09.11.2025 में उल्लेखित स्थल नाग मंदिर ग्राम सिंगारभाठा के समीप चारागाह की भूमि में हुए मुरुम खनन स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस उक्त स्थल पर पूर्व में मुरुम खनन कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर विगत दिनों से मुरुम का खनन होता नहीं पाया गया है। मौके पर ~~ही~~ स्थल निरीक्षण पंचनामा तैयार किया गया।

(4) [signature] 20/03/2026
यशवंत कुमार पराते
पार्षद - 12

1. [signature] 20/03/2026
उत्तम प्रसाद साहू

(5) खेमनदास कोटवार
ग्राम सलौनी

2. [signature] 20/03/2026
PRAVIN NAG
AE, ROCECB Raipur

(6) [signature]
प्रहलाद नोनले

3. [signature] 20/3/26
Manikchandel
SCS RO CECB Raipur.

Photographs taken during the site visit- (Annexure-6)

Annexure-07

(14)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

जिलाध्यक्ष परिसर प्रथम तल कक्ष कं. 30—31

email :- mo-raipur@gov.in

कमांक 738/खनिज . /न.क्र./शिकायत/2025—26 रायपुर दिनांक 13/04/2026

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
न्यू आफिस बिल्डिंग,रिंग रोड़ नम्बर 02,
टाटीबंध
जिला रायपुर (छ.ग.)

AE PPU

R.O.C.E.C.B L.R. NO. 197 DATE 15-4-26 Ring Road No. 2 Tatibandh, Raipur

विषय :— माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच,भोपाल मे विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA Mo.182/2025 (CZ)NEWS ite,tit;ed Avaidh murum parivahan 100 se jyada prakrano me sirf wahan liye jabt appearing in DB Star Dainik Bhaskar Raipur Dated 09-11-2025 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के के संबंध में।

संदर्भ :— क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंड़ल ,रायपुर,न्यु ऑफिस बिल्डिंग,रिंग रोड नम्बर 02 रायपुर का पत्र दिनांक 08.03.2025

——00——

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल,सेंट्रल जोनल बेंच, भोनाल में विधाराधीन प्रकरण क्रमांक QA Mo.182/2025 (CZ) News item,titled Avaidh Murum Parivahan 100 se jyada Prakarno Me Shirf Vahan Liye Jabt Appearing in DB Star Dainik Bhaskar Raipur dated 09-11-2025 मे पारित आदेश दिनांक17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के संबंध में लेख है कि जिला रायपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 मे खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन के 28 प्रकरण तथा अवैध परिवहन के 106 प्रकरण दर्ज किये गये है जिसमे कुल रूपये 53,99,770/— समझौता राशि वसूल किया गया है।

खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 तथा छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियमो मे अवैध उत्खनन/परिवहनकर्ताओ के विरूध्द FIR किये जाने का प्रावधान नही है। अतः नियमानुसार प्रकरणो का निराकरण किया जाता है । वर्ष 2025 —26 में जिला रायपुर में 12 प्रकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में धारा 22 के तहत परिवाद दर्ज करने प्रस्तुत किया गया है ।

जिला रायपुर में वर्तमान में 06 रेत खदान चिन्हांकित तथा सीमांकित किया जा कर पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत संचालित है। नया रायपुर तथा सिंगारभाठा क्षेत्र मे खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन तथा अवैध परिवहन की जांच कर अवैध उत्खनन के 18 प्रकरण में 15,69,380/—रूपये तथा अवैध परिवहन के 30 प्रकरण मे 7,98,260/— रूपये अर्थदण्ड समझौता राशि वसूल किया गया है।

उपरोक्तानुसार उक्त समाचार के संबंध मे लंबित कार्यवाही पुर्ण कर प्रकरण विलोपित किया जाना उचित होगा।

13/4

उप—संचालक (ख.प्र.)
वास्ते कलेक्टर रायपुर

प्रति,

उपसंचालक (ख.प्र.)
खनिज शाखा
जिला - रायपुर (छ.ग.)

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्र० OA No. 182/2025

संदर्भ:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक - 09.11.2025

संदर्भित विषयांतर्गत दिनांक 09.11.2025 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में "अवैध मुरुम परिवहन: 100 से ज्यादा प्रकरणों में सिर्फ वाहन किये जब्त" शीर्षक से खबर प्रकाशित था। जिसके संबंध में मान. NGT में प्रकरण विचाराधीन है। उक्त खबर के संबंध में लेख है कि जिला रायपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज मुरुम के अवैध उत्खनन के 28 प्रकरण तथा अवैध परिवहन के 106 प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिसमें कुल रूपये 5399770 समझौता राशि वसूल किया गया है।

खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 तथा छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियमों में अवैध उत्खनन/परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध FIR किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः नियमानुसार प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। वर्ष 2025-2026 में जिला रायपुर में 12 प्रकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में धारा 22 के तहत परिवाद दर्ज करके प्रस्तुत किया गया है।

जिला रायपुर में वर्तमान में 06 रेत खदान चिन्हांकित तथा सीमांकित किया जा कर [illegible]

नयारायपुर तथा सिंगारभाठा क्षेत्र में खनिज मुरुम के अवैध उत्खनन तथा अवैध परिवहन की जांच कर कुल अवैध उत्खनन के 18 प्रकरण में 1569380 रुपये तथा तीस(30) अवैध ~~उत्खनन~~ परिवहन प्रकरण में 798260 रुपये अर्थदण्ड/समझौता राशि वसूल किया गया है।

उपरोक्तानुसार उक्त समाचार के संबंध में लंबित कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण विलोपित किया जाना उचित होगा।

Bhargav
13-04-2026
AMO Raipur

Annexure - 08

(17)

निरीक्षक थाना प्रभारी थाना अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0

कमांकः— ABR / 366 /2026 दिनांक 24.03.2026

प्रति

श्रेत्रीय कार्यालय
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल
न्यू ऑफिस बिल्डिंग रिग रोड न. 2 टाटीबंध रायपुर

R.O.C.E.C.B
L.R. NO. 199
DATE 15.4.26
Ring Road No. 2 Tatibandh, Raipur

विषयः— माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलए सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण कमांक OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के संबंध में।

संदर्भ :— क 6967 क्षेका/तक/छ.प.सं.म./2026 रायपुर दिनांक 23.03.2026

महोदय,

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलए सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण कमांक OA No. 182/2025 (CZ) News item titled Avaidh Muram parivahan 100 se jyada Prakarno Me shirf Vahan Kiye Jabt Appearing in DB star Dainik Bhaskar Raipur dated 09.11.2025में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 प्रकरण अवैध मुरम परिवहन के सबंध मे प्रकरण विचाराधीन है के सबंध मे जानकारी चाही गई है। प्रार्थी दुशान्त चौहान पिता बी॰ एल॰ चौहान उम्र 36 वर्ष साकिन मकान नंबर17/08 सेक्टर 03 उदाया सोसायटी थाना आमानाका जिला रायपुर थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि नगर पालिका परिषद अभनपुर क्षेत्रांतर्गत शासकीय भुमि वार्डक्रमांक 13 उरला बेलभांठा के पासण् शासकीय भुमि जो कि पूर्व से ही समस्त शासकीय विभागों के विभिन्न विकास कार्यो हेतु आंरक्षित रखी गई हैं। जिस पर वर्तमान में फिल्टर प्लांटए कृष्ण कुंज जैसे शासन के महत्वकांक्षी योजना संचालित हैं। उक्त स्थल पर आगामी वृक्षारोपण तालाब सौदर्याकरणए उद्यान ;गार्डन आउट डोर स्टेडियमए खेल मैदान आदि कार्य हेतु भुमि को सुरक्षित रखा गया हैं। जिसमें आये दिन रात्रि के समय रात 11.00 बजे के बाद सुबह 04.00 बजे तक चौन माउंटिंग मशीन एवं हाईवा ट्रक से लगातार अवैध रूप से शासकीय भुमि पर मुरूम उत्खनन कर मुरूम चोरी किया जा रहा हैंए जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही हैं। दिनांक 4,5.10.2025 की दरम्यानी रात्रि को चौन माउंटिंग मशीन मॉडल SANY SY215 C-9LC, नंबर 22SY215C000333., हाईवां क्रमांक CG04-PK-5388, CG04-JD-7701, CG04-M-4163, CG04-PL-2212, CG04-NS-4655 वाहनो के द्वारा उक्त भुमि से बिना अनुज्ञप्ति एवं परमिट के अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कर चोरी कर परिवहन किया जा रहा था। जिसे हमारे उपस्थिति में हमारे शिकायत पर अभनपुर पुलिस द्वारा पकड़ कर 01 नग चौन माउंटिंग मशीन एवं 05 नग हाईवा वाहन को जप्त किया गया हैं। कि प्रार्थी की लिखित आवेदन पर उक्त हाईवा एवं चौन मशीन मालिकों के विरूद्ध अपराध कायम् कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मौका निरीक्षण प्रार्थी एवं गवाहो का कथन लेख कर घटना स्थल का नज़री नक्शा तैयार किया गया हैं। तथा आरोपीयो का धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरण्डम कथन लिया गया हैं। प्रकरण में आरोपीयों के विरूद्ध अपराध घटीत करने पाये जाने से गिरफ्तारी के कारणो से अवगत कराकर आरोपीगण 1.सुकालू ध्रुव पिता दिलीप ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन पुरैना थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद 2. तुलेश्वर उर्फ उत्तम गिलहरे पिता स्व रामसिंग गिलहरे उम्र 23 वर्ष साकिन बेलभाठा थाना अभनपुर को दिनांक 15.10.2025 के 12.50 एवं दिनांक 28.10.2025 के 13.00 बजे गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया हैं। जो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर हैं। जंप्त वाहन सुपुर्दनामा पर वाहन स्वामी को दिया गया हैं। सम्पूर्ण विवेचना से अभियुक्तके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर से व विवेचना पूर्ण होने से प्रकरण में अभियोग पत्रक्रमांक 425/2025 तैयार कर दिनांक 29.01.2026 को माननीय बलराम प्रसाद वर्मा जिला सत्र न्यायालय रायपुर मे पेश कर केश न 01/2026 प्राप्त किया गया है प्रकरण माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है।

थाना प्रभारी
थाना प्रभारी
थाना अभनपुर
रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

(18)

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ती के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-)
(चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू०डी०प्रकरण न०, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

आवेदक थाना उपस्थित आकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद अभनपुर द्वारा प्रेषित एक लिखित शिकायत
आवेदन थाना प्रभारी के नाम पर प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन करने पर पाया कि हाईवा ट्रकों के मालिकों एवं चैंन माउंटिग
मशीन के मालिक द्वारा अवैध रूप से शासकीय भुमि से शासकीय सम्पत्ती मुरूम को चैंन माउंटिग मशीन से अवैध रूप से उत्खनन
कर बिना अनुज्ञप्ति एवं बिना अनुमति के हाईवा ट्रकों में डालकर हाईवा ट्रक के मालिकों के द्वारा मुरूम की चोरी करते एवं चोरी
करने की नियत से वार्ड नंबर 13 बडे उरला बेलभाठा में पाया गया। चैन माउंटिंग मशीन मॉडल नं. SANY, SY215 C-9LC,
नम्बर 22SY215C000333, हाईवा वाहन क. CG04, PK-5388, CG04, JD-7701, CG04, M 4163, CG04,
PL 2212, CG04, NS 4655, के मालिकों के विरूद्ध धारा 303(2),62 बी.एन.एस. खान एवं खनिज (विकास विनियमन
) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से उक्त हाईवा एवं चैन मशीन के मालिकों के
विरूद्ध अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। शिकायत आवेदन पत्र नकल जैल है। कार्यालय नगर पालिका परिषद
अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 कमांक/1157/न.पा.अ/स्था /2025 अभनपुर, दिनांक 05/10/2025 प्रति,थाना प्रभारी,
पुलिस थाना अभनपुर जिला - रायपुर (छ०ग०) विषय शासकीय भूमि वार्ड क0 13 उरला (बेलभांठा) से अवैध मुरूम उत्खनन
कर मुरूम चोरी पर उचित कार्यवाही करने बाबत् ।उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिका परिषद अभनपुर क्षेत्रांतर्गत
शासकीय भूमि वार्ड क0 13 उरला (बेलभांठा) के पास शासकिय भूमि जो कि पूर्व से ही समस्त शासकीय विभागों के विभिन्न
विकास कार्यों हेतु आरक्षित रखी गई है। जिस पर वर्तमान में फिल्टर प्लांट कृष्ण कुंज जैसे शासन के महत्वकांक्षी योजना संचालित
है । उक्त स्थल पर आगामी वृक्षारोपण, तालाब सौदर्यीकरण, उद्यान (गार्डन) आउट डोर स्टेडियम, खेल मैंदान आदि कार्य हेतु
भूमि को सुरक्षित रखा गया है। जिसमें आये दिन रात्रि के समय रात 11.00 बजे के बाद सुबह 4.00 बजे तक चैन् मांउटिंग मशीन
एवं हाईवा ट्रक से लगातार अवैध रूप से शासकीय भूमि पर मुरूम उत्खनन कर मुरूम चोरी किया जा रहा है, जिससे शासन को
राजस्व की हानि हो रही है। दिनांक 04, 05.10.2025 की दरम्यानी रात्रि को चैन माउंटिंग मशीन मॉडल नं. SANY, SY215
C-9LC, नम्बर 22SY215C000333, हाईवा वाहन क. CG04, PK-5388, CG04, JD-7701, CG04, M4163,
CG04, PL 2212, CG04, NS 4655, वाहनों के द्वारा उक्त भूमि से बिना अनुज्ञप्ति एवं परमिट के अवैध रूप से मुरूम
उत्खनन कर चोरी कर परिवहन किया जा रहा था । जिसे मौके पर पुलिस विभाग की टीम द्वारा पकड़ कर 01 नग चैन माउंटिंग
मशीन एवं 05 नग हाईवा वाहन को जप्त किया गया है। जिसे पुलिस थाना अभनपुर को कार्यवाही हेतु सौंपा गया है। अतः निवेदन है
कि उक्त प्रकरण की जांच कर अवैध मुरूम उत्खनन मुरूम एवं मुरूम चोरी करने वाले वाहनों एवं संबंधितों के विरुद्ध उचित कानूनी
प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने का कष्ट करें । मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद अभनपुर कमांक/1158 /न.
पा.अ/स्था/2025 अभनपुर, दिनांक 05/10/2025 प्रतिलिपि 01 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर का सादर सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner

6. Complainant / Informant
(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): दुशान्त चौहान

(b) Father's Name (पिता का बी0 एल0 चौहान

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 1989 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	नंबर 17/08, सेक्टर 03, उदया सोसायटी, आमानाका, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
2	स्थायी पता	नंबर 17/08, सेक्टर 03, उदया सोसायटी, आमानाका, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9340693009

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias(उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)	
1	एक चैम मार्केटिंग मशीन एवं पांच हाईवा वाहन के वाहन स्वामी			1. अज्ञात,अज्ञात	1. अज्ञात,अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

शिकायत आवेदन पर से अपराध कायम किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

(२०)

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (ज़िला): रायपुर   P.S.(थाना): अभनपुर   Year(वर्ष): 2025

FIR No(प्र.सू.रि. 0366   Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 05/10/2025 21:09 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	62
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21(4)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन):रविवार   Date From(दिनांक से): 05/10/2025   Date To(दिनांक तक): 05/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 2   Time From (समय से): 03:30 बजे   Time To (समय तक): 03:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/10/2025   Time (समय): 21:09 बजे

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004   Time (समय): 05/10/2025 21:09:00 बजे

4. Type of Information(सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 04 किमी   Beat No (बीट सं.):

(b) Address (पता): वार्ड नंबर 13 बडे उरला बेलमाता

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (ज़िला(राज्य)):

Scanned with OKEN Scanner

...शाला विश्लेषण का परिणाम ---

...विवरण :-

नाम	नाम पिता/पति	जन्म दिनांक /वर्ष	व्यवसाय	पता	किस प्रकार की साक्ष्य देगा
	दुशान्त चौहान पिता बी0 एल0 चौहान उम्र 36 वर्ष साकिन मकान नंबर 17/08 सेक्टर 03 उदाया सोसायटी थाना आमानाका जिला रायपुर छ.ग. मोबा0–9340693009				प्रार्थी/मौका नक्शा/जप्ती गवाह
02	राजेश कुमार सिन्हा पिता रामेश्वर प्रसाद सिन्हा उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 05 अभनपुर बस्ती थाना अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. मोबा0–9827988625				कथन / जप्ती गवाह
03	टिकेन्द्र सिन्हा पिता रामआश्रय सिन्हा उम्र 36 वर्ष साकिन वार्ड अभनपुर बस्ती थाना अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. मोबा0–9993187716				कथन / जप्ती गवाह
04	अलंकार सिन्हा पिता जितेन्द्र सिन्हा उम्र 23 वर्ष साकिन फिंगेश्वर थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ.ग. मोबा0–9926584488				मेमो0 / जप्ती गवाह
05	जितेन्द्र सिन्हा पिता कवलीराम सिन्हा उम्र 57 वर्ष साकिन फिंगेश्वर थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ.ग. मोबा0–9926584488				मेमो0 / जप्ती गवाह
06	प्रमोद गिलहरे पिता कोमल चंद गिलहरे उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम बडे उरला थाना अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. मोबा0–				मेमो0 / जप्ती गवाह
07	पुनारद गिलहरे पिता रामसिंग गिलहरे उम्र 75 वर्ष साकिन ग्राम बडे उरला थाना अभनपुर जिला रायपुर छ.ग., मोबा0–				मेमो0 / जप्ती गवाह
08	प्रआर 616 दिलीप कुमार भतपहरी थाना अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 ,मोबा0-9479217809				FIR
09	निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह श्याम थाना प्रभारी थाना अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 मोबा0-7000592913				विवेचना/तस्दीकी

17.घटना का संक्षिप्त विवरण :- इस प्रकार है कि प्रार्थी दुशान्त चौहान पिता बी0 एल0 चौहान उम्र 36 वर्ष साकिन मकान नंबर 17/08 सेक्टर 03 उदाया सोसायटी थाना आमानाका जिला रायपुर थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि नगर पालिका परिषद अभनपुर क्षेत्रांतर्गत शासकीय भुमि वार्ड क्रमांक 13 उरला बेलभांठा के पास शासकीय भुमि जो कि पूर्व से ही समस्त शासकीय विभागों के विभिन्न विकास कार्यो हेतु आरक्षित रखी गई हैं। जिस पर वर्तमान में फिल्टर प्लांट, कृष्ण कुंज जैसे शासन के महत्वकांक्षी योजना संचालित हैं। उक्त स्थल पर आगामी वृक्षारोपण ,तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान(गार्ड़न) आउट डोर स्टेडियम ,खेल मैदान आदि कार्य हेतु भुमि को सुरक्षित रखा गया हैं। जिसमें आये दिन रात्रि के समय रात 11:00 बजे के बाद सुबह 04:00 बजे तक चैन माउंटिंग मशीन एवं हाईवा ट्रक से लगातार अवैध रूप से शासकीय भुमि पर मुरूम उत्खनन कर मुरूम चोरी किया जा रहा हैं, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही हैं। दिनांक 04,05.10. 2025 की दरम्यानी रात्रि को चैन माउंटिंग मशीन मॉडल SANY SY215 C-9LC नंबर 22SY215C000333., हाईवा क्रमांक CG04-PK-5388, CG04-JD-7701, CG04-M-4163, CG04-PL-2212, CG04-NS-4655 वाहनो के द्वारा उक्त भुमि से बिना अनुज्ञप्ति एवं परमिट के अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कर चोरी कर परिवहन किया जा रहा था। जिसे हमारे उपस्थिति में हमारे शिकायत पर अभनपुर पुलिस द्वारा पकड़ कर 01 नग चैन माउंटिग मशीन एवं 05 नग हाईवा वाहन को जप्त किया गया हैं। कि प्रार्थी की लिखित आवेदन पर उक्त हाईवा एवं चैन मशीन मालिकों के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मौका निरीक्षण प्रार्थी एवं गवाहो का कथन लेख कर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया हैं। तथा आरोपीयो का धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरण्ड़म कथन लिया गया हैं। प्रकरण में आरोपीयों के विरूद्ध अपराध घटीत करने पाये जाने से गिरफ्तारी के कारणो से अवगत कराकर **15.10.2025 के 12:50 एवं दिनांक 28.10.2025 के 13:00 बजे** गिरफ्तार कर ज्युड़िशियल रिमांण्ड़ पर भेजा गया हैं। जो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर हैं। जप्त वाहन सुपुर्दनामा पर वाहन स्वामी को दिया गया हैं। सम्पूर्ण विवेचना से अभियुक्तों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर से व विवेचना पूर्ण होने से प्रकरण में अभियोग पत्र क्रमांक 425/2025 तैयार कर वास्ते न्याय हेतु माननीय न्यायालय सादर प्रेषित है।

हस्ताक्षर थाना प्रभारी
नाम सत्येन्द्र सिंह श्याम
पद निरीक्षक थाना प्रभारी
थाना अभनपुर रायपुर
दिनांक 29.12.2025

हस्ताक्षर अनुसंधानकर्त्ता
नाम – सत्येन्द्र सिंह श्याम
पद – निरीक्षक
थाना – अभनपुर रायपुर.

Scanned with OKEN Scanner

02	किराया इकरारनामा पत्र हाईवा क्रमांक CG04-JD-7701 एवं CG04-M-4163	-	08	दिनांक 15.10.2025 को आरोपी सुकालु ध्रुव के पेश करने पर	चालान के साथ माननीय न्यायालय पेश हैं।
03	हाईवा क्रमांक CG04-JD-7701 एवं CG04-M-4163 का मुल आरसी बुक	-	08	दिनांक 15.10.2025 को आरोपी सुकालु ध्रुव के पेश करने पर	माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामा पर दिया गया।
04	किराया इकरारनामा चैन मांउटिंग मशीन मॉडल नंबर SANY SY215 C-9LC नंबर 22SY215C000333, हाईवा क्रमांक CG04-PK-5388, CG04-PL-2212, CG04-NS-4655	-	08	दिनांक 28.10.2025 को आरोपी तुलेश्वर उर्फ उत्तम गिलहरे के पेश करने पर	चालान के साथ माननीय न्यायालय पेश हैं।
05.	01. चैन मांउटिंग मशीन मॉडल नंबर SANY SY215 C-9LC नंबर 22SY215C000333. का इनवाईस पत्र। 02. हाईवा क्रमांक CG04-PK-5388, CG04-PL-2212, CG04-NS-4655 का आरसी बुक	-	08	दिनांक 28.10.2025 को आरोपी तुलेश्वर उर्फ उत्तम गिलहरे के पेश करने पर	माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामा पर दिया गया।

11. अंतिम प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों की सूची :-

क्र. 1	प्रपत्र का नाम 2	पृष्ठ संख्या 3
01	प्रथम सूचना पत्र	02 प्रति
02	नगर पालिका परिषद अभनपुर का कार्यवाही हेतु आवेदन	01 प्रति
03	अपराध विवरण	01 प्रति
04	वाहन इकरारनामा व वाहन किरायानामा	04 प्रति
05	गिरफ्तारी पत्रक	02 प्रति
06	गिरफ्तारी की सूचना एवं गिरफ्तारी के कारणो की सूचना	04 प्रति
07	चेक लिस्ट	02 प्रति
08	मेमोरण्डम धारा 23 बीएनएसएस	02 प्रति
09	संपत्ति जप्ती पत्रक	06 प्रति
10	नोटिस धारा 179 + 94 बीएनएसएस	01+04 प्रति
11	कथन	03 प्रति
12	रिमांण्ड	01 प्रति
13	क्षति पंचनामा हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद अभनपुर को प्रतिवेदन	01 प्रति
14	माननीय न्यायालय का ज्ञापन	02 प्रति

12. चालान किए गए 02 अपराधियों का विवरण पृथक से संलगन है।
13. चालान नहीं किए ----------- अपराधियों /संदेहियों का विवरण पृथक से संलग्न है।
14. --------03----------- साक्षियों का विवरण पृथक से संलग्न है। जिसका परीक्षण होना है।
15. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी पाई गई हो तो धारा 182, 211, भा.द.वि. के अन्तर्गत की गई/ या प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण।

नाम आरोपी :- 01. सुकालू ध्रुव पिता दिलीप ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन ग्राम मुरेना थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद
02. तुलेश्वर उर्फ उत्तम गिलहरे पिता स्व0 रामसिंग गिलहरे उम्र 23 वर्ष साकिन ग्राम बेलभाठा थाना अभनपुर जिला रायपुर (छ0ग0)

दिनांक गिरफ्तारी :- 15.10.2025 के 12:50 एवं दिनांक 28.10.2025 के 13:00 बजे

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम प्रतिवेदन

FINAL REPORT

(बी.एन.एस.एस. की धारा 193 के अन्तर्गत)

(Under Section 193 BNSS.) पृष्ठ क्रमांक)

न्यायालय माननीय J.M.F.C. रायपुर (छ.ग.)

1. जिला रायपुर थाना अभनपुर वर्ष 2025 प्र.सं. पं.क्र. 366/2025 दिनांक 05.10.2025
2. चालान (चार्जशीट) अंतिम प्रतिवेदन (खात्मा/खारिज) क्र. 425/2025 03. दिनांक 29.12.2025
4. i विधान बी.एन.एस. धाराएं 303(2),62
 ii विधान .... धाराएं .
 iii विधान............................ धाराएं ....
 iv अन्य विधान धाराएं – खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4)
5. अंतिम प्रतिवेदन का प्रकार : चालान / अदमपता / अघटित / साक्ष्य का अभाव जो (जो लागू हो उसे सही चिन्ह लगावें)
6. यदि अपराध अघटित हों तो कारण : झूठी रिपोर्ट / तथ्यात्मक त्रुटि / कानूनी त्रुटि / अहस्तक्षेप योग्य / दीवानी प्रकृति।
7. अंतिम प्रतिवेदन मौलिक/पूरक
8. अनुसंधानकर्ता 01. – निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह श्याम थाना प्रभारी थाना अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0
9. (अ) अभियोगी /सूचनकर्त्ता का नाम – दुशान्त चौहान उम्र 36 वर्ष
 (ब) पिता/ पति/ पालक का नाम - पिता बी0 एल0 चौहान
 पता - साकिन मकान नंबर 17 / 08 सेक्टर 03 उदया सोसायटी थाना आमानाका जिला रायपुर छ0ग0
10. (क) सूचनाकर्त्ता /अभियोगी का प्रकारण का नतीजा सूचित करने का दिनांक 29.12.2025
11. अनुसंधान के दौरान प्राप्त/जप्त की गई सम्पत्ति/वस्तुओं /अभिलेखों का विवरण जिस पर साक्ष्य की दृष्टि से विश्वास किया गया है। (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

क्र	संपत्ति का विवरण	अनुमानित कीमत	थाने के जप्ती माल रजिस्टर का नंबर	कब किसके व कहां प्राप्त/जप्त	निराकरण
01	1. एक नग पुराना इस्तेमाली पीला रंग के चैन माउंटिंग मशीन मॉडल नंबर SANY SY215 C-9LC ,नंबर 22SY215C000333. 2. एक नग पुरानी इस्तेमाली जिसके सामने भाग का रंग सफेद पीछे भाग आसमानी रंग का हाईवा क्रमांक CG04-PK-5388 3. एक नग पुरानी इस्तेमाली जिसके सामने भाग का रंग सफेद पीछे भाग आसमानी रंग का हाईवा क्रमांक CG04-JD-7701 4. एक नग पुरानी इस्तेमाली जिसके सामने भाग का रंग सफेद पीछे भाग आसमानी रंग का हाईवा क्रमांक CG04-M-4163 5. एक नग पुरानी इस्तेमाली जिसके सामने भाग का रंग सफेद पीछे भाग आसमानी रंग का हाईवा क्रमांक CG04-PL-2212 6. एक नग पुरानी इस्तेमाली जिसके सामने भाग का रंग सफेद पीछे भाग आसमानी रंग का हाईवा क्रमांक CG04-NS-4655	-	08	दिनांक 05.10.2025 को प्रार्थी दुशान्त चौहान के पेश करने पर	माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामा पर दिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

(२५)

कार्यालय Phone क्रमांक / 1157 / ना. प्रति,

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-1

सील.हस्ताक्षर.मुख्य नगर पालिका अधिकारी.नगर पालिका परिषद अभनपुर ।

13 Action   Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है ।):
(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया)
DILIP KUMAR BHATPAHARI (प्रधान सिपाही) / 616   Or
(2 Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का   Rank
No(सं.):   to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश
(3 Refused investigation due to(जांच
or (के कारण इंकार किया या)
(4 Transferred to P.S.   District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer In Charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court

HC 616

Name DILIP KUMAR BHATPAHARI
Rank HC (Head Constable)
No(सं.): 616

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद अभनपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

Phone No./Fax – 0771-2774809 Email – cmoabhanpur@gmail.com

क्रमांक / 1157 / न.पा.अ / स्था. / 2025 अभनपुर, दिनांक 03 / 10 / 2025

प्रति,

थाना प्रभारी,
पुलिस थाना अभनपुर
जिला – रायपुर (छ0ग0)

विषय :– शासकीय भूमि वार्ड क. 13 उरला (बेलभांठा) से अवैध मुरूम उत्खनन कर मुरूम चोरी पर उचित कार्यवाही करने बाबत् ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिका परिषद अभनपुर क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि वार्ड क. 13 उरला (बेलभांठा) के पास शासकीय भूमि जो कि पूर्व से ही समस्त शासकीय विभागों के विभिन्न विकास कार्यो हेतु आरक्षित रखी गई है । जिस पर वर्तमान में फिल्टर प्लांट कृष्ण कुंज जैसे शासन के महत्वकांक्षी योजना संचालित है । उक्त स्थल पर आगामी वृक्षारोपण, तालाब सौदर्यीकरण, उद्यान (गार्डन) आउट डोर स्टेडियम, खेल मैदान आदि कार्य हेतु भूमि को सुरक्षित रखा गया है । जिसमें आये दिन रात्रि के समय रात 11.00 बजे के बाद सुबह 4.00 बजे तक चैन माउंटिंग मशीन एवं हाईवा ट्रक से लगातार अवैध रूप से शासकीय भूमि पर मुरूम उत्खनन कर मुरूम चोरी किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है । दिनांक 04; 05.10.2025 की दरम्यानी रात्रि को चैन माउंटिंग मशीन मॉडल नं. SANY, SY215 C-9LC, नम्बर 22YS215C000333, हाईवा वाहन क. CG04; PK – 5388, CG04; JD – 7701, CG04, M – 4163, CG04; PL – 2212, CG04, NS – 4655, वाहनों के द्वारा उक्त भूमि से बिना अनुज्ञप्ति एवं परमिट के अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कर चोरी कर परिवहन किया जा रहा था । जिसे मौके पर पुलिस विभाग की टीम द्वारा पकड़ कर 01 नग चैन माउंटिंग मशीन एवं 05 नग हाईवा वाहन को जप्त किया गया है । जिसे पुलिस थाना अभनपुर को कार्यवाही हेतु सौंपा गया है ।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच कर अवैध मुरूम उत्खनन मुरूम एवं मुरूम चोरी करने वाले वाहनों एवं संबंधितों के विरूद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद अभनपुर

क्रमांक / 1158 / न.पा.अ / स्था. / 2025 अभनपुर, दिनांक 03 / 10 / 2025

प्रतिलिपि :–

01. अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) अभनपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद अभनपुर,

Scanned with OKEN Scanner